न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 83 / 2023

1 मुकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश उम्र 33 वर्ष
2 रजनीकान्त पुत्र ओमप्रकाश उम्र 23 वर्ष
3 रतन कुमार पुत्र हेतराम आयु 50 वर्ष
4 विनोद पुत्र हेतराम आयु 47 वर्ष
5 सुनिल पुत्र हेतराम उम्र 43 वर्ष
6 सरजीत पुत्र हेतराम उम्र 45 वर्ष समस्त जाति स्वामी निवासीगण श्यामपुरा मटाणा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मरवण देवी पत्नी हरचन्द उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी किशोरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
2 शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी महोदय चिड़ावा उनवानी मुकदमा
मुकेश कुमार आदि बनाम मरवण देवी आदि मु.नं.
03 / 2021 निर्णय दिनांक 10.08.2023

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र बुडानिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 28.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 03/2021 में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 197, 198 के संदर्भ में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में मौका रिपोर्ट का विश्लेषण किया है तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 मरवण देवी के एतराज को नही माना है अर्थात मौका रिपोर्ट दिनांक 07.05.2021, 20.10.2021 व 17.12.2021 का रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मरवण देवी का एतराज निरस्त किया है तथा दिनांक 04.01.2022 की मौका रिपोर्ट को निरस्त किया है उसके पश्चात अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र बाबत 251 ए खारिज नहीं किया जा सकता है दिनांक 04.01.2022 की जो मौका रिपोर्ट है उसमें यह तथ्य भी आया है कि निर्माण कार्य करके रास्ता नहीं देने बाबत भूमिका तैयार की गयी है विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 203 में पगडंडी का तथ्य दर्ज किया है जो सरे आम गलत है जब दिनांक 04.01.2022 के उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

तथ्य को निरस्त कर दिया गया उसके पश्चात उसी तथ्य को निर्णय का आधार बनाकर निर्णय पारित करना कानून की मंशा के विपरित है। अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.2021 को पेश हुआ था उसमें मुकदमा उनवानी बनवारीलाल बनाम अनिलकुमार का हवाला दिया या है जो गलत है उक्त मुकदमा षडयंत्र के तहत प्रस्तुत करवाया गया था तथा राजीनामा प्रस्तुत करवाया गया था उक्त मुकदमें में जिस तथ्य को प्रस्तुत किया गया है जो दिनांक 04.01.2022 की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में वैकल्पिक रास्ता मानने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य में मौका पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 मरवण देवी ने विचारण न्यायालय के विरूद्ध स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें दर्ज किया है कि उसको विचारण न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है परन्तु विचारण न्यायालय ने समस्त मौका रिपोर्ट व पत्रावली पर आई साक्ष्य अपीलार्थीगण के पक्ष में होते हुये भी अपीलार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2022(1) पेज 196, आर.आर.टी. 2022(1) पेज 558 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण अपने खसरा नम्बर 198 में से खसरा नम्बर 194 की भूमि की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे जोहड़ खसरा नम्बर 196 में प्रवेश करते है तथा खसरा नम्बर 196 मे से अपनी आवश्यकतानुसार आगे अपने गन्तव्य स्थान को चले जाते है। इस प्रकार प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 198 से आवागमन के लिए खसरा नम्बर 194 में से रास्ता हमेशा से रहा है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण करते आ रहे है इस प्रकार प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 198 में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता है तथा प्रार्थीगण को अपने खसरा नम्बर 198 में आवागमन के लिए अत्यन्तिक आवश्यकता होने का प्रश्न ही नही है जबकि कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि जहां आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

नया रास्ता कायम नही किया जा सकता क्योंकि धारा 251ए के प्रावधानों के अनुसार नया रास्ता उन्ही परिस्थितियों में कायम किया जा सकेगा जहां आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद न हो व प्रार्थीगण को आवागमन के लिए रास्ता की अत्यन्तिक आवश्यकता हो। प्रार्थीगण की सुविधा के लिए रास्ता कायम नही किया जा सकता। प्रार्थना पत्र में धारा 251ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के इंग्रिडियट्स मौजूद नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2023(1) पेज 548, आर.आर.आी. 2023(2) पेज 1165 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने खसरा नम्बर 197 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता चाहा था। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01.2022 से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 197 में अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते पर खातेदारान का मकान निर्मित है एवं छोटे मन्दिर का भी निर्माण किया हुआ है। इसी मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 197 के पूर्वी तरफ अवस्थित खसरा नम्बर 203 में से रास्ता दिये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। आवेदनकर्ता के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। धारा 251ए के अन्तर्गत ऐसे खातेदार को जिसके पास कृषि जोत पर आवागमन का रास्ता नही हो उसे रास्ता दिये जाने का विधिक प्रावधान किया गया है। विचारण न्यायालय ने इस मौका रिपोर्ट पर एवं धारा 251ए के विधिक प्रावधानों पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 197 में से चाहा गया रास्ता दिया जाना सम्भव नही है किन्तु मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 203 में से रास्ता दिया जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि खसरा नम्बर 203 के खातेदार को सुनवाई कर अपीलांट को रास्ता प्रदान करने की कार्यवाही करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर